



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

क्रमांक: 11817

दिनांक: 06/05/2022

सचिव/प्राचार्य
समस्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
जिला-झुन्झुनू एवं सीकर।

विषय:-क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति बाबत।

सन्दर्भ:-आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर पत्रांक एफ 24()बी.
एड/आकाशि/2022/156 दिनांक 22.04.2022

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि संस्थाओ द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर साप्ताहिक उपस्थिति प्रदर्शित नहीं की जा रही है। संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति संस्था की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत करावें।



कुलसचिव

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan.
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);



क्रमांक: एफ 24(बी.एड/आकाशि/2022/156

दिनांक:- 22/04/2022

सचिव/प्राचार्य,
समस्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं,
राजस्थान।

विषय:- क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थियों की वायोमैट्रिक उपस्थिति वाचत।

संदर्भ:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.07.2019 की पालना में 30 दिवस के भीतर वायोमैट्रिक उपस्थिति उपकरण स्थापित करने वाचत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में ज्ञात हुआ है कि सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.07.2019 के अनुसार एनरीटीई से मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में सजग रूप से निगरानी/अनुपीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त सूचना की पालना में वायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करें ताकि शिक्षक-विद्यार्थियों की समस्त कार्य दिवसों में उपस्थिति दर्ज हो सके।

यह संज्ञान में आया है कि संस्थाओं द्वारा स्वयं की वेबसाइट पर साप्ताहिक उपस्थिति प्रदर्शित नहीं की जा रही है। संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि जिन संस्थाओं के द्वारा वायोमैट्रिक उपस्थिति उपकरण स्थापित नहीं किये गये हैं, वे 15 दिवस के भीतर वायोमैट्रिक उपस्थिति उपकरण स्थापित करें तथा समस्त संस्थाएं शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर एवं संबंधित विश्वविद्यालय को अवगत करावें।

(भवानी सिंह देखा)

शासन सचिव,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. रजिस्ट्रार, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
8. रजिस्ट्रार, राजेंद्राणि भूतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल गुज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
10. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगारिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
11. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, दसवाड़ा।
12. रक्षित पत्रावली।
13. वेबसाइट प्रमोटी को website पर अपलोड करने हेतु

अज्ञात

राज्य निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।